



प्री

(आदेश 20 नियम 6/जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

बईजलास सुश्री रजनी माधीवाल (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

1. श्री उदयराम पिता उंकार जी सुथार निवासी गोराणा तह0 करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

—वादी

वनाम

1. श्री बालु पिता बागा सुथार निवासी गोराणा तह0 करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

के बजाय पृथ्वीराज पिता बालु सुथार निवासी गोराणा तह0 करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88-188 रा0टि0ए0 1955 मु0 संख्या 219/17 राजस्व वाद निर्णय दिनांक 22.01.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई सवरुप अदालत व हिजरी वकील वादी

मिनजानिव मुददई व श्री मुरलीधर जोशी मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिकी दी जाती है कि ग्राम गोराणा पटवार हलका नारेली तह0 करेडा की आराजी नं0 1197 रकबा 8 बीस्वा में से 7 बीस्वा भूमि का जरिये राजीनामा वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित किया जाकर वादी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

आज तारीख 22.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की।



(रजनी माधीवाल)

आर.ए.एस. 22.01.2018

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
करेडा जिला भीलवाडा  
सहायक कलक्टर

है कि डिकी दी  
8 बीस्वा में से 7  
प्रतिवादी का नाम  
आदेश दिया